

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं० : 152/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. संदीप कुमार पुत्र वीरसिंह कौम जाट साकिन डोबी।
2. सुन्दरलाल पुत्र चानणमल कौम माली साकिन भादरा।
3. ओमप्रकाश पुत्र बाबुलाल कौम महाजन साकिन भादरा।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : पेरोकार राज : वादी

निर्णय

दिनांक : 22.1.18

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 12 बीएचडी मु०नं० 26 के किला नं० 7 की 0.177 है० 8 की 0.253 है० किला नं० 13 की 0.253 है०, किला नं० 14 की 0.165 है० किला नं० 17 की 0.164 है० किला नं० 18 की 0.253 है० की कुल 1.265 है० भूमि वर्तमान में संदीप कुमार पुत्र वीरसिंह जाति जाट व सुन्दरलाल पुत्र चानणमल जाति माली व ओमप्रकाश पुत्र बाबुलाल कौम महाजन साकिन भादरा के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि को बिना रूपान्तरण करवाये ईन्ट भट्टा (चिमनी) लगाकर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है। वर्तमान में ईन्ट भट्टा बंद है। प्रतिवादी विवादित कृषि भूमि का खातेदार है उक्त खातेदारी भूमि उसे कृषि प्रयोजनार्थ दी गई है जिस पर अन्य गैर कृषि कार्यों में उपयोग के लिए सक्षम स्वीकृति व संपरिवर्तन न कराकर नियमों का उल्लंघन किया है। कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में कृषि उपयोग के लिए कुल भूमि के 1/50 हिस्से पर निर्माण कार्य कर सकता है, उससे अधिक पर नहीं। प्रतिवादी द्वारा मु०नं० 26 की भूमि को अकृषि कार्य में प्रयोग किया गया है जो धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। विवादित कृषि भूमि को खातेदार द्वारा बिना स्वीकृति के 1/50 हिस्से से अधिक भूमि के अकृषि कार्य में उपयोग कर रहा है। प्रतिवादी सद्भावी काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की तामील हो चुकी है, प्रतिवादी सं० 1 ता 3 को बार बार आवाज लगाई गई न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं आये, इसलिए उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

साक्ष्य वादी में संदीप चौधरी पुत्र आरएस चौधरी जाति जाट हाल तहसीलदार राजस्व भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में हल्का पटवारी रिपोर्ट प्रदर्श 1, नजरी नक्शा पटवार मण्डल डोबी प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 12बीएचडी खाता सं0 56/55 सम्वत् 2070-73 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस परोकार राज की ओर से सुनी गई। अपनी लिखित बहस में परोकार राज ने जाहिर किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषक को मात्र कृषि उपयोग के लिए खातेदारी अधिकार हासिल है। धारा 177 काश्तकारी अधिनियम के तहत अहितकर कार्य करने या काश्तकारी अधिनियम की शर्तें भंग करने पर (कृषक) खातेदार को बेदखल किया जा सकता है। खातेदार द्वारा वाद भूमि में कृषि जोत से भिन्न कार्य कर जोत का स्वरूप नष्ट कर दिया है। प्रतिवादी द्वारा वाद भूमि को ईन्ट भट्टे के उपयोग में लिया जा रहा है तथा मौके पर चिमनी का निर्माण किया हुआ है। भूमिधारी द्वारा तत्कालीन पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के आधार पर वाद दायर किया है जिसकी ताईद में मौके पर आज भी चिमनी मौजूद है। कृषि भूमि में ईंट भट्टे का निर्माण होने से कृषि उपज नष्ट हो गई है तथा भूमि की किस्म बदल दी गई है। कृषि भूमि को कृषि कार्य से भिन्न उपयोग के लिए विधि के अनुसार सरकार द्वारा नियम बनाये गये हैं। कृषि भूमि को अकृषि उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन नियम 2007) वर्तमान में विद्यमान है लेकिन खातेदार कृषक द्वारा विधि के विरुद्ध ईंट भट्टे का निर्माण किया गया है जो गैर कानूनी है। इस प्रकार वाद भूमि को सिवाय चक घोषित किया जाकर प्रतिवादी/प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में स्टेट की ओर से भू अभिधारी संदीप कुमार पुत्र वीरसिंह जाति जाट व सुन्दरलाल पुत्र चानणमल जाति माली व ओमप्रकाश पुत्र बाबुलाल के विरुद्ध विवादित कृषि भूमि को अकृषि कार्यों के उपयोग में लिए जाने का मामला है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व नियमों के अनुसार कृषक अपनी काश्तकारी का 1/50 वां हिस्सा या अधिकतम 500 वर्गमीटर अकृषि कार्यों जैसे निवासी, कुआ, पशुशाला, भण्डारगृह के लिए उपयोग में ले सकता है।

धारा 177 में स्पष्ट प्रावधान है कि भू अभिधारी ऐसा कोई कार्य जो जाट की भूमि के लिए अहितकर हो या उसने ऐसी शर्त भंग की हो तो बेदखली का दावा होगा।

हस्तगत प्रकरण में सरकार की ओर से तहसीलदार भादरा के वाद पत्र व साक्ष्य पटवारी रिपोर्ट मौका पर मुख्य परीक्षा से ये साबित है कि भू अभिधारी प्रतिवादीगण संदीप कुमार, सुन्दरलाल, ओमप्रकाश ने कृषि भूमि के रकबा 1.2650 है0 का ईन्ट भट्टे के रूप में बिना किसी विधि सम्मत आदेश, सम्परिवर्तन आदेश, लाईसेंस, परमिट के किया है। अतः अकृषि कार्य जोत के कृषि प्रयोजन के प्रतिकूल है। चूंकि प्रतिवादी वाद सम्मन तामील उपस्थित नहीं आया है न ही कोई जबाब पेश किया है। चूंकि प्रतिवादी खातेदार/अभिधारी के द्वारा कृषि भूमि अकृषि के रूप में प्रयोग करना साबित है। प्रतिवादी दावा दायरी से निर्णय तक की अवधि में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनार्थ



B/10

सरकार बनाम संदीप आदि

उपयोग करने हेतु विधि सम्मत कार्यवाही कर विधिक स्वीकृति/संपरिवर्तन आदेश प्राप्त करने का पर्याप्त समय था, मगर प्रतिवादी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई, ऐसा साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में भू-अभिधारी को खातेदारी अधिकारों से बेदखल किया जाना न्याय सम्मत है। दूसरी तरफ वादी अपने पक्ष को साबित करने में सफल रहा है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा चक 12 बीएचडी मु०नं० 26 के किला नं० 7 की 0.177 है० 8 की 0.253 है० किला नं० 13 की 0.253 है०, किला नं० 14 की 0.165 है० किला नं० 17 की 0.164 है० किला नं० 18 की 0.253 है० की कुल 1.2650 है० भूमि वर्तमान में संदीप कुमार पुत्र वीरसिंह जाति जाट व सुन्दरलाल पुत्र चानणमल जाति माली व ओमप्रकाश पुत्र बाबुलाल कौम महाजन साकिन भादरा के नाम खातेदारी दर्ज है जो प्रतिवादीगण द्वारा अकृषि कार्य (ईट भट्टा) में उपयोग ली जा रही है को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है तथा तहसीलदार भादरा को आदेश दिया जाता है कि वह उक्त भूमि का कब्जा बहक राज्य सरकार लेकर भू-अभिधारी संदीप कुमार, सुन्दरलाल, ओमप्रकाश को वादभूमि चक 12 बीएचडी मु०नं० 26 के किला नं० 7 की 0.177 है० 8 की 0.253 है० किला नं० 13 की 0.253 है० किला नं० 14 की 0.165 है० किला नं० 17 की 0.164 है० किला नं० 18 की 0.253 है० की कुल 1.2650 है० से बेदखल करे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/11/15 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएस

प्रकरण सं० : 152/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. संदीप कुमार पुत्र वीरसिंह कौम जाट साकिन डोबी।
2. सुन्दरलाल पुत्र चानणमल कौम माली साकिन भादरा।
3. ओमप्रकाश पुत्र बाबुलाल कौम महाजन साकिन भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील पैरवीकर्ता वादी पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा चक 12 बीएचडी मु०नं० 26 के किला नं० 7 की 0.177 है० 8 की 0.253 है० किला नं० 13 की 0.253 है०, किला नं० 14 की 0.165 है० किला नं० 17 की 0.164 है० किला नं० 18 की 0.253 है० की कुल 1.2650 है० भूमि वर्तमान में संदीप कुमार पुत्र वीरसिंह जाति जाट व सुन्दरलाल पुत्र चानणमल जाति माली व ओमप्रकाश पुत्र बाबुलाल कौम महाजन साकिन भादरा के नाम खातेदारी दर्ज है जो प्रतिवादीगण द्वारा अकृषि कार्य (ईट भट्टा) में उपयोग ली जा रही है को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है तथा तहसीलदार भादरा को आदेश दिया जाता है कि वह उक्त भूमि का कब्जा वहेका रूपय सरकार लेकर भू-अभिधारी संदीप कुमार, सुन्दरलाल, ओमप्रकाश को जाति माली चक 12 बीएचडी मु०नं० 26 के किला नं० 7 की 0.177 है० 8 की 0.253 है० किला नं० 13 की 0.253 है०, किला नं० 14 की 0.165 है० किला नं० 17 की 0.164 है० किला नं० 18 की 0.253 है० की कुल 1.2650 है० से बेदखल करे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/1/18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(राजकुमार कस्वा)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ़